म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल.

क्रमांक/मंडी/प्रा./46/57/परिपत्र/803 भोपाल, दि. 23/08/2021

प्रति,

(1) संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ...समस्त... (म.प्र.)

(2) भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति ...समस्त... (म.प्र.)

विषय:- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाईन एवं वायरलेस आधारित वाईस एवं डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 एवं दिशा-निर्देश 2019 की कंडिकाओं में संशोधन हेतु।

संदर्भ:- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 3-3/2015/41-2, भोपाल, दिनांक 26/07/2021

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाईन एवं वायरलेस आधारित वाईस एवं डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 एवं दिशा-निर्देश 2019 की कंडिकाओं में संशोधन संबंधी आदेश जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रियंका दास)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृष्ठांकन क्र/मंडी/प्रा./46/57/परिपत्र/804 भोपाल, दि. 23/08/2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में प्रेषित।
3. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड, भोपाल।
4. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/उप संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। संलग्न संदर्भित पत्र।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Unicode Letter

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 एवं दिशा-निर्देश 2019 की कंडिकाओं में संशोधन हेतु ।

1 message

Prakash Kumar Makhija <prakash.makhija@mp.gov.in>

Fri, Jul 30, 2021 at 3:20 PM

To: "PA, Directorate of Agriculture" <dagpa@mp.gov.in>, Director Agriculture MP diragri mp <diragri@mp.gov.in>, Director of Agriculture Engineering Bhopal <dagebho@mp.gov.in>, mdmandiboard <mdmandiboard@gmail.com>, mdbeejnigam <mdbeejnigam@gmail.com>, md mpsoca <md.mpsoca@gmail.com>, mduvnb <mduvnb@gmail.com>, mpsscaho <mpsscaho@gmail.com>, JITENDRA PARIHAR <j.parihar@mp.gov.in>, "Dy.Agriculture Production Commissioner Bhopal." <dyapcbho@mp.gov.in>, babita basuniya <babita.basuniya@mp.gov.in>

357056

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
Mah/1885 दि. 30/7/2021
प्रबंध संचालक

DD. प्र010101
pl. process
5/8/21

26.pdf
368K

DD(G) 515
6/8/21

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल,दिनांक 26 जुलाई 2021

क्रमांक एफ.3-3/2015/41-2:: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुंच सेवाए उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 एवं दिशा-निर्देश 2019" की कंडिकाओं में निम्नानुसर संशोधन किया जाता है :-

(1) उक्त नीति 2019 की कंडिका क्रमांक 10 के पश्चात निम्नानुसार कंडिका स्थापित की जाती है:-

10(अ)- अनुज्ञप्त अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर अथवा अन्य स्त्रोत से संज्ञान में आने पर कि, निजी भूमि/ स्थानीय निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ आयोग आदि की भूमि पर यदि कोई टावर अथवा अवसंरचना, बिना अनुज्ञप्ति के स्थापित है तो, अनुज्ञप्ति अधिकारी विधिवत जॉच उपरांत, नीति-2019 के अंतर्गत पात्रता आने पर सेवा प्रदाता से नीति/ दिशा निर्देश-2019 में प्रावधानित शुल्क के अतिरिक्त रूपये 1 लाख प्रति टॉवर/ स्थान, के मान से शमन राशि (Compounding Fee) जमा कराने के उपरान्त, ऐसी अवसंरचना को नियमित कर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।"

(2) नीति 2019 एवं दिशा-निर्देश 2019 की कंडिका 13(ख) के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैं:-

13(ख)- राज्य सरकार के विभाग अथवा उपक्रम/प्राधिकरण/निगम/आयोग आदि की संबंधित भूमि/संपत्ति हेतु नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रति दूरसंचार अवसंरचना /प्रति स्थान के लिए राशि अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगी :-

क्रमांक	श्रेणी	अनुज्ञप्ति / नवीनीकरण शुल्क/ प्रति अवसंरचना स्थल
1	महानगर क्षेत्र (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर)	रूपये 50,000/-
2	अन्य नगर पालिक निगम क्षेत्र	रूपये 40,000/-
3	नगर पालिका परिषद क्षेत्र	रूपये 35,000/-
4	नगर परिषद	रूपये 30,000/-
5	ग्रामीण क्षेत्र	रूपये 20,000/-

2/ नीति एवं दिशा-निर्देश -2019 की कंडिका 13(ख) में उल्लेखित दरें इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी।

3/ उक्त आदेश मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 8 दिनांक 20 जुलाई 2021 के अनुक्रम में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम. सेल्वेन्द्रन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
भोपाल, दिनांक 26/07/2021

पृष्ठांकन क्रमांक एफ.3-3/2015/41-2

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।

2- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।

3- निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4- प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0 भोपाल।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग, भोपाल।

6- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।

7- आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

8- प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम,भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को विभाग एवं निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

9- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।

10-राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

11-उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया इसे मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

12-निदेशक, TAIPA,दवीतीय मंजिल, भाई वीरसिंह मार्ग, गोलमार्केट,नई दिल्ली-110001

13-प्रमुख, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया(COAI), 14-भाई वीरसिंह मार्ग,गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग